राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com,agricsfsrg@gmail.com

सी.एस.एफ / उघान / 4(बाग निलामी) / एन.एस.सी –सर. / 2018–19 दिनांकः –

निविदा सह खुली बोली सुचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ, जिला–श्रीगंगानगर (राजस्थान) में स्थित बाग मे लगे बेल व आम के फलो की वर्ष 2018 के लिये नीलामी सह खुली बोली आंमत्रित करती है फलो को तोडने का समय 25 जुन 2018 तक रहेगा निविदा सह खुली बोली दिनांक 01.06.2018, को सरदारगढ रेलवे स्टेषन के सामने स्थित फार्म मुख्यालय में सांय 2.00 बजे तक टेण्डर दिये जायेगे तथा सायं 3.00 बजे तक सिलबन्द निविदा टेण्डर बॉक्स में डालने होगे एवं उसके पष्चात खुली नीलामी की जायेगी। मोहरबन्द निविदा के साथ धरोहर राषि रूपये 10000 / – (रूपये दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि ''राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सरदारगढ़'' के नाम से सुरतगढ में देय हो के साथ को संलग्न कर भेजना होगा। बैंक ड्राफ्ट के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं होगी। टेन्डर फार्म की कीमत रूपये 100 / – अलग से जमा करानी होगी ।

क्र. सं.	बाग का नाम	फलों का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर
1.	नर्सरी बाग	समस्त क्षेत्र के आम फल	3.2
2.	बेल बाग	बेल फल	3.8
		कुल क्षैत्रफल हैक्टेयर :–	7.00

उच्चतम बोली की संपुर्ण राषि तुरन्त जमा करवानी होगी नियम व शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में फार्म के उद्यान शाखा से प्राप्त की जा सकती है तथा इसकी विस्तृत जानकारी के लिये वेवसाइट www.indiaseeds.com पर देखा जा सकती है।

नोटः –

1. इच्छुक ठेकेदार / पार्टी का PAN No. / पेन कार्ड होना अनिवार्य है ।

प्रबंधक (उत्पादन)
कृते निदेषक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com,agricsfsrg@gmail.com

फार्म में आम व बेल के फलो की नीलामी सह खुली बोली हेतु वर्ष 2018 के लिए नियम व शर्तें ।

1. टेण्डर/नीलामी में भाग लेने से पूर्व कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारी पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा–खतोनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हो। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत प्रमाण–पत्र व निदेषक मण्डल के सदस्यगण की सूची व उक्त वर्णित कागजात मे से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
2. प्रत्येक बोलीदाता/निविदादाता को बोली/टेण्डर में भाग लेने से पहले सम्मिलित होने के लिए फार्म द्वारा निष्चित की गई धरोहर राषि (ईएमडी)₹10000/–(रुपये दस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो **"राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड", सरदारगढ़** के नाम देय हो फार्म खजाँची के पास जमा कराना होगा। असफल बोलीदाता की धरोहर राषि बोली समाप्त होने पर चैक द्वारा लौटा दी जावेगी। बोली स्थल पर कोई अस्त्र–षस्त्र ले जाना निषिद्व है। सन्देहास्पद दषा में तलाषी ली जा सकती है ।
3. फार्म द्वारा बाग के फलो के ठेके की स्वीकृति सफल बोलीदाता/निविदादाता को जारी होने के 24 घंटे के अन्दर ठेके की स्वीकृति की संपुर्ण रकम फार्म के खाते मे जमा करवानी होगी।
4. फार्म प्राधिकारी द्वारा यह सुनिष्चित करने पर कि ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों द्वारा फार्म को कोई हानि नही हुई है तथा ठेका शर्तों के अनुसार संतोषजनक पूरा हो गया है। ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राषि ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी। जमा की गई धरोहर राषि पर फार्म द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में यह राषि फलों के एवज में ठेकेदार द्वारा जमा की जाने वाली राषि मे समायोजित नही की जायेगी।
5. केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ के सक्षम प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये बोली/टेण्डर को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर दें।
6. खरीददार को बाग के फल तोड़ने के अधिकार की अवधि विभिन्न फलों के अनुसार भिन्न–भिन्न निम्नवत होगीः–
   (अ) आम, बेलपत्र, – 25 जुन, 2018

   ज्यों ही फलों के चुनाई का समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का फलवृक्षों व उन पर लगे फलों पर कोई अधिकार नही होगा। ठेके की शर्तों के अनुसार निष्चित राषि का भुगतान करके फलों की तुड़ाई शीघ्रातिषीघ्र कर ली जाये। फलों की तुड़ाई में अनावष्यक देरी की अनुमति फार्म प्रषासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी।
7. यदि कोई व्यक्ति बिना ठेकेदार की जानकारी के फल तोड़ता हुआ पाया जाता है तो ठेकेदार उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के निदेषक को देगा।
8. फलों को तोड़ने व सभी प्रकार की सुरक्षा का पूर्ण जिम्मेदार ठेकेदार होगा। किसी दैविक प्रकोप से हुए नुकसान के लिये बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा। अगर ठेकेदार चाहे तो उसे अपने खर्च व जोखिम पर फलों का बीमा कराने की अनुमति होगी। नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवष जैसे पेड़ों का उखड़ना, सूखना, बीमारी/कीडों/सूखा/वर्षा/ओला/पाला आदि (प्राकृतिक या अप्राकृतिक) से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा। बोलीदाता ही स्वयँ उक्त हानि को वहन करेगा।
9. यदि खरीददार फलों का एकत्रीकरण व चुनाई का कार्य अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करना चाहता है तो वह एक अधिकार पत्र एवं प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। फल तोड़ने के लिए खरीददार अपने द्वारा लगाये गये व्यक्तियों के नाम व पते, जो बाग में रहेगें फार्म के सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा।

शेष पेज 2 पर......

फार्म प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत ठेकेदार के नामित प्रतिनिधि/कार्यकर्त्ता मात्र ही फलों की तुड़ाई, सुरक्षा

पैकिंग ढुलाई, आदि ठेके से सम्बन्धित कार्यों हेतु फार्म के उद्यान/सुरक्षा अधिकारी की अनुमति से फार्म/उद्यान परिसर में प्रवेष कर सकेगें।

10. यदि फार्म की सम्पत्ति को कोई हानि ठेकेदार या उसके किसी आदमी के किसी कृत्य द्वारा होती है तो उसके लिए ठेकेदार/खरीददार जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की हानि की कीमत फार्म प्राधिकारी द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा। इस पर कोई भी आपत्ति तथा किसी भी प्रकार का प्रष्न नहीं उठाया जायेगा। झगड़ा या मतभेद के मामले में केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ का निर्णय अंतिम होगा।
11. नीलामी के उपरान्त ठेकेदार/खरीददार फलों की सुरक्षा, चुनाई/तुड़ाई, पैकिंग, ढुलाई आदि समस्त फल विपणन कार्य अपने जोखिम व खर्चें पर करेगा तथा साथ ही सभी कर व अन्य प्रभार जैस चुँगी, नगरपालिका आदि से यदि हो तो फल ठेकेदार को स्वयँ वहन करना होगा।
12. खरीददार द्वारा शर्तों की अवहेलना करने पर केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ के सक्षम अधिकारी को जमा की गई धरोहर राषि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। खरीददार बिना निदेषक महोदय की लिखित आज्ञा के कोई भी किसी प्रकार का सौदा या भागीदारी व अन्य हस्तान्तरण किसी अन्य बोलीदाता या किसी व्यक्ति से/को नहीं करेगा।
13. खरीददार फार्म ऐरिया में कोई पषु आदि नहीं रखेगा, ना ही घास–फूस आदि काटेगा और फार्म की बिजली का प्रयोग भी नहीं करेगा। यदि फार्म द्वारा बिजली का प्रबन्ध संभव होता है तो फार्म द्वारा निष्चित की गई राषि मासिक अन्तराल पर अग्रिम आधार पर ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म खजाँची के पास जमा करानी होगी।
14. नीलामी के पष्चात अगर बोलीदाता समय पर निर्धारित धनराषि जमा नही करता है तो उसे फल तोड़ने से रोका जा सकता है जिसके नुकसान की जिम्मेदारी स्वयँ ठेकेदार की होगी। ठेकेदार की धरोहर राषि अन्य जमा की गई राषि जब्त कर ली जायेगी। यदि पुनः ठेका की प्रक्रिया में कोई हानि फार्म की होती है तो उसकी उगाही ठेकेदार से की जा सकती है।
15. शर्तों की अवहेलना करने पर बाग की दोबारा नीलामी उच्चतम बोलीदाता की जिम्मेदारी पर की जायेगी। उस हालत में धरोहर राषि व जो भी राषि फार्म में ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है, को जब्त कर लिया जायेगा। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धन राषि आती है तो वह राषि प्रथम बोलीदाता से वसूली जायेगी।
16. साधारणतयाः फलों को बगीचे से बाहर ले जाने के लिए अनुमति कार्य दिवस में प्रातः 7:00 बजे से सायँ 5:00 बजे तक होगी। किसी भी भारी वाहन द्वारा फल ले जाने से पहले फलों का वजन फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में करवा कर गेट पास लेना आवष्यक होगा।
17. यदि कोई भी बोलीदाता किसी कम्पनी या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है तो बोली बोलने वाले को संस्था या कम्पनी द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षर तथा बोली देने या अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
18. ठेकेदार, उसके प्रतिनिधि या कार्यकर्त्ताओं को कोई भी अस्त्र–षस्त्र लेकर उद्यान या फार्म में प्रवेष करने, बिना अनुमति जबरन फल तोड़ने या उपद्रव करने का कोई अधिकार नही होगा।
19. ठेकेदार या उसका कोई आदमी फार्म के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी से झगड़ा नहीं करेगा सभी शर्तों का पालन करेगा व अपना आचरण अच्छा रखेगा। यदि फार्म ठेकेदार के आचरण को अनुचित पाता है या उसे शर्तों का पालन करने में असमर्थ पाता है तो उसे 5 वर्ष तक के लिए काली सूची में डाला जा सकता है।
20. ठेकेदार को अपनी पूरी राषि जो अनुबन्ध में होगी एक मुष्त ही जमा करानी होंगी। टुकड़ों में स्वीकार नही की जायेंगी।यदि ठेकेदार फार्म द्वारा निर्धारित की गयी तिथियों पर भुगतान नहीं करता है तो फार्म को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राषि, उस समय तक जमा की गयी सभी राषि जब्त कर ली जायेगी व ठेका बिना किसी सूचना के समाप्त कर दोबारा कर दिया जायेगा।यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धनराषि आती है तो वह राषि प्रथम ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
21. यदि आयकर अधिनियम व राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर या उपकर लागू होता है तो सम्बन्धित ठेकेदार चुकाएगा।

29 ठेकेदार द्वारा लगाये गये व्यक्ति फार्म क्षेत्र में जँगली या प्रतिबन्धित जानवरों का षिकार नहीं करेगा और ना ही उन्हें परेषान करेगा यदि ऐसा पाया गया तो ठेकेदार स्वयँ जिम्मेवार होगा ।

30. बोली छूटने के बाद वृक्षों अथवा फलों में यदि किसी बीमारी या कीडों का प्रकोप होता है तो इनकी रोकथाम हेतु भरपूर प्रयास पौध संरक्षण फार्म द्वारा किये जावेंगे। यदि पौध संरक्षण अधिकारी व उद्यान अधिकारी द्वारा किये गये उपायों व प्रयासों के उपरान्त भी बीमारी, महामारी, कीटों की पूर्ण रूप से रोकथाम नहीं हो पाती है और यदि इसकी वजह से फलों को कोई हानि होती है तो इस एवज में ठेकेदार को कोई आर्थिक छुट या राहत नहीं दी जावेगी ।

शेष पेज 3 पर.......

31. ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफा आदि देने की पेषकष नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुँचाने की कोषिष नहीं करेगा।ऐसे मामलों में उसका ठेका

रद्दकिया जा सकता है। साथ ही उसकी धरोहर राषि जब्त कर उसके विरूद्द कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

32. ठेकेदार बाग में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे फल वृक्षों या बाग को कोई नुकसान पहुँचे। वह अपनी इच्छा से या स्वयँ किसी दवा या छिड़काव, खुदाई, कटाई, आग जलाना, कोई निमार्ण आदि कार्य नहीं करेगा। अगर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार की क्षति फार्म सम्पति को पहुँचती है तो फार्म द्वारा क्षति की आँकलित राषि ठेकेदार को फार्म में जमा करवानी होगी।
33. यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अर्न्तगत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवष्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने खर्चे पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा। उल्लंघन की दषा में ठेकेदार स्वयँ जिम्मेवार होगा।
34. यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार की किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दषा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष सह–प्रबन्धक निदेषक को सन्दर्भित किया जायेगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयँ अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक सोल आर्बिटेटर के द्वारा विवाद का निपटान आर्बिटेषन एन्ड कानसिलिएषन एक्ट 1996के प्रावधानों के अर्न्तगत कराये। पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दषा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिटेषन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
35. आर्बिटेषन एन्ड कानसिलिएषन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बन्धित होगा ।

उद्यान अधिकारी
कृते निदेषक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com,agricsfsrg@gmail.com

निविदा फार्म बाग के फलों की निलामी हेतु, वर्ष 2018–19 के लिए

क्रमांकः–.......................

दिनांक :– 25.05.2018

क्र.सं.	बाग का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	रकम जो अदा करना हैं। (रुपये में)
1.	आम व बेल के फल	7.00	रू...

उपरोक्त बाग के फलों की नीलामी हेतु नियम व शर्तें मुझे स्वीकार है और मैंने घोषित धरोहर राषि फार्म खजान्ची के पास बैक ड्राफ्ट द्वारा जमा करा दी है और मैंनें अपना पहचान पत्र व पान कार्ड की प्रतिलिपि भी जमा करा दिया है।

नाम :– ....

पिता का नाम :– ....

पूरा पता :– ....

....

मोबाईल न0...

पेन न0...